584

न्यायालय राजस्व न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क .... 2016 निगरानी R-3766-I/16

बहादुर सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह किरार निवासी ग्राम दीघौरा तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म0प्र0)

................निगरानीकर्ता

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला विदिशा म.प्र.
2. कला बाई पत्नि स्व0श्री बाबूलाल,
3. कैलाश पुत्र स्व0श्री बाबूलाल निवासीगण ग्राम दीघौरा तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म0प्र0)

............प्रतिनिगरानीकर्तागण

दिनांक 2-11-16 को संजीव कुमार मिश्रा अभि. द्वारा प्रस्तुत/
2-11-16
Sanjeev Kumar Mishra (Adv.)
02/11/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध **आदेश** दिनांकित 29.06.2016 जो प्रकरण कमांक 02/स्व0निग0/14–15 में **न्यायालय** अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा जिला–विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित **आदेश** के विरूद्ध प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है:--

1. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 10.06.2015 को माननीय कलेक्टर महोदय, को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि, ग्राम दीघौरा पटवारी हल्का न0 17 तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा की शासकीय आरागी न0 186 रकबा 3.862 हैक्ट भूमि को ग्राम दीघौरा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा के कृषक गुटटीलाल, गुलाबसिंह व संतोष जाति किरार निवासीगण ग्राम दीघौरा नें एव ग्राम दीघौरा की ही आराजी नम्बर 181 रकवा 3.816 हैक्ट भूमि को ग्राम दीघौरा के कलाबाई विधवा बाबूलाल, कैलाश पुत्र बाबूलाल ने तहसीलदार ग्यासपुर को मिलाकर फर्जी व गलत रूप से प्रकरण क्रमांक 11–ए--19(4)/02--03 कलाबाई आदि बनाम शासन दीघौरा ग्यारसपुर में दिनांक 06.10.2004 को उक्त भूमि नम्बरान पर भूमि स्वामी घौषित किये जाने का आदेश पारित कर उक्त भूमि पर शासकीय कागजातों मे भूमि स्वामी के

XXIX(a)-BR(H)-11

584

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3766-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक24-4-19को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	